

पत्र सं० बी-1-एलाटमेंट -3/मानदेय/ 2025-2026 /

785 राज्य कर
कार्यालय अयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: 11.03.2026

समस्त अपर आयुक्त, जोन
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने हेतु मानक मद संख्या-07-मानदेय की मद में धनराशि का आवंटन प्रत्येक जोन के आहरण एवं वितरण अधिकारी को अलग से किया जा रहा है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की जा रही है। कृपया इस धनराशि का वितरण अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-जी-1-746/दस-96-241/96 दिनांक 27/02/1997 में निर्धारित नियमों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 10-03-2026
16:55:25
अयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2- अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
 - 3- अपर आयुक्त (विधि/प्रशिक्षण केन्द्र), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 4- अपर आयुक्त ग्रेड-1(30न्या0का0), राज्य कर, प्रयागराज।
 - 5- अपर आयुक्त ग्रेड-2(30न्या0का0), राज्य कर, लखनऊ।
 - 6- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - 7- संयुक्त आयुक्त(सर्वोच्च न्या0का0), राज्य कर, गाजियाबाद।
 - 8- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सेल), राज्य कर मुख्यालय / लखनऊ प्रथम/ लखनऊ द्वितीय/ कानपुर प्रथम / कानपुर द्वितीय/ नोएडा / ग्रेटर नोएडा / गाजियाबाद।
 - 9- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम/द्वितीय राज्य कर मुख्यालय।
 - 10- आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर जनपद गाजियाबाद, नोएडा, झांसी, गोरखपुर, इटावा, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर एवं मुख्यालय।
 - 11- बी-1-5-बजट पटल को 05 अतिरिक्त प्रतियाँ।

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SINGH
Date: 10-03-2026
16:57:08
अयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

200755

श्रीमती युनिता
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

संपादन (आई0टी0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक 11-03-2026